-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 28.01.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2022 में पिता द्वारा अपनी पुत्री की गला दबाकर हत्या करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2022 में थाना नरैनी क्षेत्र अन्तर्गत पिता द्वारा अपनी पुत्री की गला दबाकर हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 22.04.2022 को थाना नरैनी क्षेत्र के ग्राम पौसरा के रहने वाले एक पडोसी ने सूचना दी कि मेरी पडोस में रहने वाली रैना देवी जो दिनांक 20.04.2022 से दिखाई नही दे रही है। जाच के क्रम में पाया गया कि लड़की के पिता द्वारा अपनी पुत्री को घर के पीछे जमीन में दफना दिया गया था। मृतका के शव को जमीन से निकालकर कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु गला दबाकर होना पाया गया। जिसके सम्बन्ध में वादी निरीक्षक राकेश कुमार तिवारी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना नरैनी पर मु0अ0सं0 71/22 धारा 302/34/201 भादवि पंजीकृत किया गया था। पूछताछ के क्रम में पिता द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया था। जिसकी विवेचना नि0 श्री मनोज कुमार शुक्ला द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 06.12.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री वीरेन्द्र द्विवेदी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी जितेन्द्र कुमार व आरक्षी गौरव दिवाकर तथा पैरोकार आरक्षी प्रवीण कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय स्पे0 जज पॉक्सो एक्ट बांदा द्वारा आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. देशराज पुत्र बैजू निवासी बजरंग चौराहा थाना नरैनी जनपद बांदा।